[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 29/2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. ________(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशनस, 2009 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2019 कहा जाएगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशनस, 2009 में विनियम 5 में, उपविनियम (1) में, उपवाक्य (i) में, उप- उपवाक्य (ट) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

   "(ट) ऐसे अन्य उपकरण या सुविधाएं जिन्हे बोर्ड या प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित या निर्यातित माल की स्क्रीनिंग, जांच परख, कब्जे में लेने और उनकी देखरेख करने के बारे में विनिर्दिष्ट करते हो. ".

[फा. स. 450/114/2015- सीमाशुल्क IV]

1.4.19

(राजीव रंजन)

निदेशक (पीएसी- सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान विनियम को अधिसूचना संख्या 26/2009- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 मार्च, 2009, के द्वारा, अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 174 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2009, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2017, अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 322 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।